राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 1 (28) परि/स्था/2015/पार्ट I/7372 जयपुर, दिनांकः 02/05/19

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा में मोटर वाहन उप निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा, 2013 में सफल घोषित किए गये एवं आयोग के पत्र क्रमांक प.7(23) परीक्षा 'ख' मो.वा.उ.नि./2013–14/431 दिनांक 15.11.2018 द्वारा नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किए जाने पर राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 में निहित प्रावधानों के तहत् निम्न सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों (समय–समय पर संशोधित वेतन भत्तों/शर्तों के अध्यधीन) एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांकः F15(1) FD/Rules/2017 dated 30-10-2017 एवं अधिसूचना दिनांक 09.12.2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल एल–10 (33800–106700) में राशि 23,700/– रू. (Fixed Remuneration) पर एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

क्र.सं.	रोल नं.	मेरिट लिस्ट नं.	नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग
1.	101781	53-A	श्री रोबिन सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह	ग्राम व पो. डुलानिया, वाया पिलानी, तह. सुरजगढ जिला झुन्झुनु, राजस्थान – 333031	19-09-1988	GEN
2.	101380	80-A	श्री मुकुल गिदवानी पुत्र श्री मोहन लाल गिदवानी	वार्ड नं. 19, आनंद नगर कॉलोनी, झूलेलाल मंदिर के पास, पोस्ट–खैरथल जिला अलवर, राजस्थान – 301404	09-11-1985	BC
3.	100440	97-A	श्री अशोक कविया पुत्र श्री ज्ञानदान	255, शिवविहार, रोड नं. 05, वी.के.आई एरिया, जयपुर, राजस्थान – 302013	01-10-1986	BC
4	100419	99-A	श्री नरेश कुमार मीना पुत्र श्री भाग्यशाली मीना	पत्र व्यवहार का पता :– पुलिस दुरसंचार, पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला दौसा, राजस्थान–303303 स्थायी निवास का पता :– ग्राम मन्या का बास, पोस्ट रैनिजाथान, तह. कठुमर जिला अलवर, राजस्थान – 301035	19-06-1991	ST

Scanned by CamScanner

उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर कमरा नं. 105 में उपस्थित होकर कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1062/2017 अशोक कविया बनाम राज्य व अन्य डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 1229/2017 मुकुल गिदवानी बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के पालना में दोनों अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 16.03.2018 को जारी किया गया परन्तु अपात्र हुए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण माननीय सम्पूर्ण आयोग द्वारा प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 55/2018 अशोक कुमार मीणा व अन्य (01) बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.02.2018, डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 34/2018 नरेश कुमार मीणा बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.03.2018 तथा डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 658/2018 रोबिन सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.05.2018 के विरूद्व आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 एवं 23.10.2018 में एस.एल.पी. खारिज कर दी गई है। अतः डी.बी. स्पेशल अपील रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के अनुसार दो अभ्यर्थियों का घोषित परिणाम दिनांक 16.03.2018 को आयोग द्वारा यथावत रखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2018, 08.03.2018 तथा 18.05.2018 की पालना में उचित मानते हुए 04 अभ्यर्थियों का परिणाम दिनांक 14.11.2018 को जारी किया गया है। परिणाम में आवेदकों को मेरिट संख्या पर प्रतिस्थापित किया गया है।
2. उक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि वही होगी, जो उन्होंने राजस्थान लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र में अंकित की है तथा जिसे आयोग द्वारा सत्यापन के उपरान्त मान्य कर दिया गया है। इन अभ्यर्थियों की वरिष्ठता राजस्थान लोक सेवा आयोग की योग्यता सूची में अंकित वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित होगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/चरित्रादि सत्यापन भविष्य में संशययुक्त अथवा सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो इनकी नियुक्ति बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी। यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी।
4. नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थिति/कार्यग्रहण की दिनांक से वेतन देय होगा।
5. पात्रता के संबंध में आक्षेप प्राप्त होने पर उसकी सत्यता पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार नियुक्ति अधिकारी को होगा।
6. इन अभ्यर्थियों को उक्त सेवा में नियुक्ति दी जा रही है, यदि अभ्यर्थी अपने प्रशिक्षण की अवधि में अथवा अपने प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि में पदत्याग करता है अथवा अन्य नियुक्ति स्वीकार करता है तो उसे प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि मय अन्य व्यय जो राज्य सरकार ने ऐसे प्रशिक्षण पर व्यय किया हो, वापस जमा कराना होगा किन्तु इस अवधि

Scanned by CamScanner

में उसे भुगतान की गई यात्रा व दैनिक भत्ते की राशि वसूल नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी को इस आशय का एक बन्ध–पत्र (बॉण्ड) निर्धारित प्रपत्र में निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

7. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किये जाने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि तक उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

8. यह नियुक्ति सभी माननीय न्यायालयों में रिट याचिकाओं में निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

(राजेश यादव)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

क्रमांकः एफ 1 (28) परि/स्था/2015/पार्ट I/7373-7381 जयपुर, दिनांकः 02/05/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सम्बन्धित कर्मचारी श्री ....
8. गोपनीय शाखा/संस्थापन शाखा/भुगतान शाखा, मुख्यालय, जयपुर।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (मु.)

Scanned by CamScanner